



उपभोक्ता मार्गदर्शिका

पंजीकृत माईग्रेशन एजेंट प्रशिक्षित लोग होते हैं जिनके लिए व्यवसायिक मानकों को पूरा करना, आचार संहिता का पालन करना व आप्रवासन क़ानून व कार्यविधियों का नवीनतम ज्ञान होना अनिवार्य है।

आपके एजेंट के लिए OMARA (Office of the Migration Agents Registration Authority) के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप्रवासन सहायता प्रदान करने के लिए केवल उपयुक्त व्यक्तियों का ही पंजीकरण हो। किसी व्यक्ति के बारे में यह जानने के लिए कि वह पंजीकृत है या नहीं OMARA की वेबसाइट www.mara.gov.au पर देखें।

माईग्रेशन एजेंट व आचार संहिता

आचार संहिता से सुनिश्चित होता है कि आपका पंजीकृत माईग्रेशन एजेंट निम्नलिखित करेगा:

- आपको वीज़ा मिलने की संभावनाओं के बारे में आपको सच्चाई बताना;
- आपके आवेदन-पत्र की प्रगति व कोई भी ऐसे बदलाव जिनसे उस पर प्रभाव होगा, उनके बारे में आपको बताना;
- कार्य-समय के घंटों के दौरान संपर्क करने पर उपलब्ध होना और यदि वह अपने संपर्क विवरण को बदलता है तो आपको बताना;
- क़ानून के अनुसार काम करना, आपके सर्वोत्तम हित को देखना और आपकी गोपनीयता को सुरक्षित रखना;
- उनको ऐसा कोई लाभ हो जिससे आपका आवेदन पत्र प्रभावित होता हो तो उसे बताना व यदि हितों का कोई टकराव हो तो आपके लिए काम न करना;
- आपका काम आरम्भ करने से पहले – लिखित रूप में आपको इसका ब्योरा देना – कि क्या सेवाएँ प्रदान की जाएँगी, उनकी अनुमानित फ़ीस व अन्य क्या खर्च होंगे;
- उचित फ़ीस लेना और यदि आप अग्रिम भुगतान करते हैं तो इस पैसे को बैंक में अलग अकाउंट में रखना;
- जो वास्तविक सेवाएँ पूरी तरह आपको प्रदान की हैं उनकी सूची व जो पैसे देने हैं उस पर आधारित बिल देना;
- आपको समय से, सही सलाह देना व आपको जल्द से जल्द लिखित रूप में परिणाम के बारे में बताना।

शिकायतें

यदि आपको अपने पंजीकृत माईग्रेशन एजेंट से कोई समस्या होती है तो आपको उनके साथ उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। मदद के लिए OMARA से संपर्क करें।

OMARA से शिकायत करने से आपके वीज़ा के आवेदन पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA)

ऑस्ट्रेलियाई क़ानून के अंतर्गत, OMARA:

- माईग्रेशन एजेंट द्वारा के रूप में पंजीकरण के लिए आए आवेदन पत्रों की जाँच करता है व निर्णय करता है;
- एजेंटों के लिए लगातार व्यवसायिक विकास की गतिविधियों को मंजूरी देता है;
- पंजीकृत माईग्रेशन एजेंटों के आचरण की निगरानी करता है; व
- पंजीकृत माईग्रेशन एजेंटों के खिलाफ़ शिकायतों की जाँच-पड़ताल करना व जब उचित हो तो उन्हें अनुशासित करना।

OMARA आपके वीज़ा के लिए आवेदन में या स्पॉन्सर करने में सहायता नहीं कर सकता या आपके पंजीकृत माईग्रेशन एजेंट को आपके पैसे वापिस करने के लिए आदेश नहीं दे सकता।

अधिक जानकारी www.mara.gov.au पर मिल सकती है:

- आचार संहिता
- पंजीकृत माईग्रेशन एजेंट का उपयोग करने के लिए सुझाव

कोई व्यक्ति पंजीकृत है या नहीं जानने के लिए www.mara.gov.au पर देखें

The screenshot shows a search interface titled "Search for an agent". It features a "Search map" button with a location pin icon. Below the map, there are two input fields: "Location" with a placeholder "eg. country, state, city, town, suburb, postcode" and "Agent" with a placeholder "eg. agent's family name or MARN". A "Search" button is located below these fields. At the bottom, there are links for "More search options" and "Clear".